

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक मई, 2013

पत्र संख्या-1/एल1-10-15/2013 गृ0आ0 /श्री रविन्द्र कुमार, भा0पु0से0, अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 28.05.2013 से 21.06.2013 तक कुल-25 (पच्चीस) दिनों की उपार्जित अवकाश तथा दिनांक 22.06.2013 एवं 23.06.2013 (राजपत्रित अवकाश) को 02 (दो) दिनों का अनुमति अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार के अवकाश अवधि में अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-15/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक मई, 2013
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-15/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक मई, 2013
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-15/2013 गृ0आ0 4034 /पटना, दिनांक 24 मई, 2013
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री रविन्द्र कुमार, भा0पु0से0, अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।